कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1511 /4/पीजी/आचिशि/2017 भोपाल,दिनांक 03/05/2017

// आदेश //

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4316/2017,4512/2017 एवं 4526/2017 में पारित निर्णय दिनांक 01/05/2017 के अनुसार मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 एवं मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017 के अनुसार दिनांक 17 मार्च 2017 को एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये जारी की गयी **Corrected Merit List of MP State for PG NEET 2017 COUNSELLING** कॉमन मेरिट सूची जो कि www.dme.mponline.gov.in पोर्टल के स्टेट मेरिट लिंक पर प्रदर्शित है, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

2— कण्डिका 1 में उल्लेखित निरस्तीकरण के आधार पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा दिनांक 11/04/2017 से 15/04/2017 तक की गई काउंसिलिंग अन्तर्गत स्कूटनी के संदर्भ में राज्य के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 11/04/2017 से 21/04/2017 तक अभ्यर्थियों को एमडी/एम.एस /डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दिये गये प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं ।

3— मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 एवं मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017 के अनुसार एम.डी.एस. पाठ्यक्रमों में की गई काउंसिलिंग तथा प्रवेश प्रक्रिया यथावत् रहेगी ।

4— मध्य प्रदेश निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017 के अनुसार एन.आर.आई. कोटे की प्रवेश प्रक्रिया यथावत् रहेगी ।

5— दिनांक 11/04/2017 से 21/04/2017 तक की गई काउंसिलिंग अन्तर्गत स्कूटनी के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि स्वयं के मूल दस्तावेज

प्राप्त करना चाहते है तो ऐसी स्थिति में वे संबंधित महाविद्यालय से मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगें ।

6— सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के लिये जमा की गई फीस/शुल्क की राशि संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी ।

7— www.dme.mponline.gov.in पोर्टल पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये कराये गये रजिस्ट्रेशन यथावत् रहेगा परन्तु च्वाईस फिलिंग/आप्ट फॉर वेटिंग/अपग्रेडेशन (Choice Filling/Opt for waiting/willing for upgradation) की प्रकिया नवीन काउंसिलिंग समय सारणी के अनुसार पुनः की जानी होगी।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1512/4/पीजी/आचिशि/2017 भोपाल,दिनांक 03/05/2017

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ ।

3— आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।

4— अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, वाल्मी रोड, एक्सीलेंस कॉलेज के पीछे, भोपाल ।

5— अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग, श्यामला हिल्स, भोपाल ।

6— अधिष्ठाता, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर, रीवा ।

7— प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।

8— समस्त अधिष्ठाता, निजी चिकित्सा महाविद्यालय ।

9— समस्त अधिष्ठाता/प्राचार्य, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय ।

10— आदेश फाईल ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश